फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री राजुसिंह पिता वरदसिंह जी निवासी सिरोदनिया पो0 ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 20 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :— सूकाअ / 29 / 2025 / 21 दिनांक 24.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक श्री राजुसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक को कार्यालय के पत्र क्रमांक सू का अ / 29 / 2025 / 02 दिनांक 06.01.2026 द्वारा उपलब्ध करा दी गई। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि वांछित दस्तावेज से ही मेरा नामान्तरण वर्ष 2017 में स्वीकृत किया गया था। अतः मुझे नामान्तरण पत्रावली के साथ संलग्न उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दिलवायी जावें। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में विशिष्टिया अंकित नहीं किय जाने तथा सूचना प्रश्नात्मक होने के संबंध में जरिये पत्र से प्रार्थी को सूचित किया गया। उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई रहन मुक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करवा कर इस न्यायालय को सूचित करावे।	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर निर्णित किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)